मैं ने कई बार सदन में और कमेटियों में मांग की कि आपके निर्णय को मद्दे-नजर रखते हुए मेरे प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाय और उस पर जल्दी बहस कराई जाय। लेकिन 33 दिनों तक संसद् कार्य मंत्री ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और आप के स्पष्ट निर्णय की अवहेलना की। 26 अगस्त को यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निम्न हुक्म जारी किया है :—

Upon perusing the petition and the accompanying documents and upon hearing the petitioner in person the Court directed the issue of Rule Nisi, to be connected with other Kutch matters. No ex-Parte stay. But notice of motion may be taken out.

Ordered on 26th August, 1968

1. Chief Justice Mr. Hidayatulla
2. Mr. Justice Shelat
3. Mr. Justice Bhargawa
4. Mr. Justice Mitter
5. Mr. Justice Vidyalingam.

इसका साफ मतलब है कि अब यह मामला फिर न्यायालय के विचाराधीन हो गया है "सबजुडीके" हो गया है और अब इस पर बहस नहीं हो पायेगी।

किसी पर इलजाम लगाने में मुझे जरा भी खुशी नहीं है। लेकिन आज में कुछ गुस्से और कुछ अफसोस के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या संसद् कार्य मंत्री ने जान-बूझ कर इस मामले में टाल-मटोल की नीति नहीं अपनाई? मेरे प्रस्ताव के लिए जान-बूझ कर समय नहीं दिया, ताकि यह मामला फिर से न्याय अधीन हो जाय? मुझे सख्त एतराज है कि सार्वजनिक महत्व के तथा राष्ट्रीयता से संबंधित कच्छ जैसे मामले में वंचना और धोखे का रास्ता अपनाया गया है। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के पश्चात् कम से कम मेरे प्रस्ताव को प्राथमिकता दे कर इस पर अगले सत्र में बहस करायी जाय और हमें अपनी भावना को तथा विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया जाय।

एक प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस में आप की क्या गलती हुई और मेरी क्या गलती हुई?

श्री रबी राय : अध्यक्ष महोदय, आप की कोई गलती नहीं है। (*Interruption*)

(*At this stage there was some disturbance in the Visitors' (Ladies) Gallery*).

(*Interruption*).

MR. SPEAKER: Order, order. Whether you discuss it in the next session or not all depends upon whether by that time the Supreme Court decides it or not. I can entirely agree that after the Supreme Court decision you have a right to discuss it. This House is the highest authority; but let us see.

2-34 HRS.

MOTIONS RE: JOINT COMMITTEE ON FOREIGN MARRIAGE BILL—*Contd.*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): Mr. Speaker, Sir, I had moved the motion yestereday. The motion which was moved on the 13th August has been circulated for the information of Hon. Members of the House and the objection which was raised yesterday by Hon. Members has been removed. Therefore I request that this amendment may be accepted.

MR. SPEAKER: He has corrected and circulated it. I hope, he has the leave of the House.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है। कल जो प्रस्ताव श्री सलीम

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

ने पेश किया था उस को ले कर आप ने इस मामले को आज फिर उठाने को कहा। अफसोस की बात यह है कि जिस ढंग से माननीय मंत्री जी आज इस सदन में आये हैं वह भी बिल्कुल गलत है। जब कल यह प्रस्ताव नियम 388 के अन्तर्गत यहां पर मंजूर किया गया तब आप जानते हैं कि एक मंत्री महोदय के मन की भावना यह थी कि 13 अगस्त को पेश किये हुए मोशन पर हम ने जो प्रस्ताव पास किया था उस को रद्द किया जाये। 13 अगस्त को सदन के सामने मंत्री महोदय का मोशन था जिस पर बिना कोई लम्बी बहस हुए सदन ने अपनी मंजूरी दी। मोशन की मंजूरी के बाद और उसपर प्रस्ताव पास होने के बाद वह मोशन जिन्दा नहीं रहता है। मोशन खत्म हो जाता है। कल जब मंत्री महोदय सदन के सामने आये और आज दुबारा आये उस में उन्होंने बुनियादी गलती यह की है कि कोई नया मोशन ले कर नहीं आये हैं। वह 13 अगस्त के ही मोशन का जिक्र कर के फिर सदन के सामने आये हैं। 388 में जब आप ने इजाजत दी और 338 नियम को जब कल खत्म कर दिया गया तो उस का एक ही मतलब होता है कि इस प्रश्न को दुबारा उठाने की इजाजत सरकार को मिलती थी, जो बिल्कुल दुरुस्त था।

मुझे आप से यह व्यवस्था चाहिये कि जब एक मोशन आता है और उस को पास कर दिया जाता है या नापास कर दिया जाता है तब क्या उस के बाद वह मोशन सदन के सामने रहता है अथवा वह खत्म हो जाता है मेरा आप से निवेदन है कि जब मोशन पर वोट हो जाता है तब मोशन खत्म हो जाता है और उस मोशन के आधार पर बार बार प्रस्ताव करने की इजाजत इस सदन के नियमों के अनुसार सरकार को या मंत्री महोदय को या किसी भी सदस्य को नहीं मिल सकती है। कल जब आप ने व्यवस्था दी थी तब मैं ने सोचा था मंत्री महोदय, जो खुद कानून मंत्री भी हैं, इस बात को ठीक तरह से समझ चुके हैं कि एक नया प्रस्ताव राज्य सभा के प्रस्ताव के साथ कांकरेंस के लिये सदन के सामने आयेगा। लेकिन शायद उन्होंने आप की व्यवस्था को नहीं समझा, नियमों को नहीं समझा। इसीलिये जो मोशन सदन के सामने नहीं है उस को अमेंडड फार्म में पास किया जाय यह सुझाव ले कर वह सदन के सामने आये हैं। यह गलत है। सदन के सामने कोई मोशन नहीं है। इसलिये उन का जो प्रस्ताव है वह अवैधानिक है। उस को वापस लिया जाये और वह नया मोशन सदन के सामने पेश करें जिस पर सदन अपना निर्णय दे।

MR. SPEAKER: Yesterday, it was clearly understood that the motion was not circulated in advance. That is what Mr. Srinibas Misra raised. Therefore, we asked him to circulate it and to bring it in the next day. What is the point in this? The point is that Mr. Krishna's name is not properly pronounced and instead Mr. C. M. Krishna, it is Mr. S. M. Krishna who is a P.S.P. Member and instead of Mr. Lakhan Lal Gupta, by mistake, they put Mr. Lakhan Lal Kapoor from the same P.S.P. Party. They are correcting the mistake which crept into it because of carelessness or whatever it is, as you may call it. I do not want to go into the merits of it. The mistake occurred and they have now come to the House to correct that mistake. It is a simple thing. Now, Mr. Abdul Ghani Dar has given some amendments that instead of Mr. S. M. Krishna, somebody else may be put and instead of Mr. Lakhan

Lal Gupta, somebody else may be put. These amendments are before the House. I now put amendments of Mr. Abdul Ghani Dar to the vote of the House.

श्री अब्दु गनी डार (गुड़गांव) : मैं अपने अमेंडमेंट वापस लेता हूं। मंत्री महोदय को स्त्री जाति से कोई मोहब्बत नहीं है। स्त्री जाति सब से पहले है, लेकिन यह नहीं माने। विनाशकाले विपरित बुद्धि:।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) :

میں اپنی امنڈمینٹ واپس لیتا ہوں ۔ منتری مہودے کو استری جاتی سے کوئی محبت نہیں ہے ۔ استری جاتی سب سے پہلے ہے ۔ لیکن یہ نہیں مانے ۔ وناش کالے وپریت بدھی ۔]

Amendments Nos. 1 to 4 were, by leave, withdraw

MR. SPEAKER: Now, I put the motion to the vote of the House. The question is:

"(i) That in the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign Marriage Bill, 1963 to a Joint Committee moved in Lok Sabha on the 13th August, 1968, the following amendments be made:—

(a) *for* 'Shri C. M. Krishna' *substitute* 'Shri S. M. Krishna'.

(b) *for* 'Shri Lakhan Lal Kapoor' *substitute* 'Shri Lakhan Lal Gupta'; and

(ii) that the said motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign Marriage Bill, 1963 to a Joint Committee, as amended be adopted."

The motion was adopted.

12-39 HRS.

STATUTORY RESOLUTION *RE*. PROCLAMATION IN RELATION TO PUNJAB; AND PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

MR. SPEAKER: Now, we take up Punjab. This is a very important thing that is coming up before the House. Now, in order that you may have some extra time, I am putting both the things together, the Statutory Resolution and the Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill. The voting will have to be done separately. But you can discuss them together so that you get a little more time instead of 2 or 3 minutes for each thing separately.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): What is the total time allotted?

MR. SPEAKER: 3 hours. I don't mind; it is an important thing.

SHRI SHRI CHAND GOEL (Chandigarh): I want to make a submission. You have decided to take items 17 and 18 together. My submission in this behalf is that they are two separate items and in the case of the other States, we had dealt with them separately. Because they had been appearing separately and on different dates, what the Parties have done is that they have allotted different members—one would speak on Proclamation and the other would speak on Delegation of Powers Bill.........

MR. SPEAKER: I agree. That is why, I suggested this. Whatever time is allotted to a party, they can have two members. I have no objection. Within the time allotted, they can have two members—one may speak for 10 minutes and other 8 minutes or something like that.

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba): I am rising on a point of procedure. If these two items are taken together, that would mean that there would be two motions before the House—one will be the Statutory Resolution, namely, item 17, and the other, the motion regarding Delegation of Powers, i.e., item 18. The Rules of Procedure do not allow two motions to be discussed at one and the same time.